<u>खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर बनाम अशफाक</u>

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर एवं न्याय निर्णयन अधिकारी, कुचामन सिटी

(पीठासीन अधिकारीः रवीन्द्र कुमार, आर.ए.एस.)

आवेदकः–

श्री विशाल मित्तल़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर।

बनाम

अभियुक्तः–

1. श्री अशफाक पुत्र अब्दुल हमीद (खाद्यकारोबारकर्ता एवं मालिक)
   निवासी– लेगनशाह अस्पताल के सामने, मकराना
   फर्म – मैसर्स बेहलीम किराणा स्टोर, इमाम चौक, गोडा बास, मकराना

प्रकरण संख्या :–16 / 2023

" अर्न्तगत खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम की धारा 26 की उपधारा 2(v) एवं दण्डनीय धारा 58 "

उपस्थित :–

1. अभियुक्त अशफाक पुत्र अब्दुल हमीद

–ःनिर्णय ः–

दिनांक :– 26.02.2024

(1) संक्षिप्त में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है। आवेदक श्री विशाल मित्तल़, खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने यह आवेदन इस न्यायालय में प्रस्तुत कर अनुरोध किया कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी दिनांक 05.07.2023 को समय 02:40 पी.एम. पर फर्म मैसर्स बेहलीम किराणा स्टोर, इमाम चौक, गोडा बास, मकराना, पर पॅहुचा। वहां पर खाद्यकारोबारकर्ता के रूप में उपस्थित व्यक्ति को अपना परिचय दिया व परिचय लिया तो मालूम हुआ कि वह व्यक्ति अशफाक पुत्र अब्दुल हमीद, निवासी लेगनशाह अस्पताल के सामने, मकराना पर मालिक एवं खांद्य कारोबारकर्ता की हैसियत से मौजूद है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने निरीक्षणार्थ खाद्य पदार्थ विक्रय अनुज्ञापत्र / रजिस्ट्रेशन दिखाने को कहा जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक ने फर्म का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र, आधार कार्ड की स्वप्रमाणित प्रतियां प्रस्तुत कि, जो न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:30 IST
Reason: SelfAttested

(2) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक की उपस्थिति मे संस्थान का निरीक्षण किया जहां पर लगभग 10 किलोग्राम हल्दी पाउडर(लूज) आइरन [illegible] में आमजन

न्यायालय अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट कुचामन सिटी

26/02/2024

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

को विक्रय वास्ते रखा हुआ था। जिनमें गुणवत्ता में कमी का अंदेशा होने पर 2 किलो हल्दी पाउडर(लुज) नमूना वास्ते जांच हेतु खरीदा, जिसकी कीमत अशफाक को 400/– रूपये नकद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक के हस्ताक्षर है तथा उपस्थित गवाहान के हस्ताक्षर करवाए। रसीद माल खरीद की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ संलग्न है।

(3) यह है कि आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौके पर प्रपत्र 5ए की प्रतियाँ तैयार की, जिस पर खाद्यकारोबारकर्ता मालिक तथा गवाहान को पढ़कर, समझकर व सही मानकर हस्ताक्षर किए। स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने भी हस्ताक्षर किए। प्रपत्र 5 ए की एक प्रति खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक श्री अशफाक को देकर असल पर रसीद प्राप्त की। प्रपत्र 5ए की असल प्रति न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(4) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने खाद्यकारोबारकर्ता व गवाहान को प्लास्टिक के चौड़े मूँह के चार साफ सूखें एंव खाली जार दिखाकर, उक्त खरीदशुदा हल्दी पावडर (लूज) को चार बराबर–बराबर भागों में बाटकर चारों साफ सूखे एंव खाली जारों में बराबर–बराबर मात्रा में डाला फिर इन चारों नमूना डिब्बों के ढक्कन एयर टाईट बन्द किये, जिस पर श्रीमान डीओ एंव मुख्य चिकित्सा एंव स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के कोड व सिरियल न. Q–2412, दिनांक, स्थान, खाद्य पदार्थ का नाम आदि अंकित कर उस पर खाद्य कारोबारकर्ता, गवाहान के हस्ताक्षर करवाये एवं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने अपने हस्ताक्षर किये। तत्पश्चात खरीद शुदा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) के चारों नमूना पैकेटो पर एक–एक लेबल गोंद से चिपकाया। फिर चारों नमूना भागों को अलग अलग खाकी कागज में लपेट कर प्रत्येक भाग पर अभिहित अधिकारी व मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर की हस्ताक्षरयुक्त पेपर स्लिप, कोड व क्रमाक Q–2412 को नियमानुसार गोद से चिपकाया, प्रत्येक नमूना भाग को धागे से बांध कर नियमानुसार सील चपडी किया। प्रत्येक नमूना भाग पर खाद्य कारोबारकर्ता व गवाहो के हस्ताक्षर करवाये एवं स्वंय मैने भी हस्ताक्षर किये, फिर चारों नमूना भागों को अपने कब्जे/जाप्ते में लिया। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने मौका फर्द रिपोर्ट तैयार की जिसे खाद्य कारोबारकर्ता अशफाक एवं गवाहान ने पढ़ सुनकर, समझ कर सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने हस्ताक्षर किये।

(5) फर्द रिपोर्ट पर नमूने को सील करते समय काम में ली गई सील की छाप लगाई। फर्द रिपोर्ट मूल ही संलग्न है। आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने कार्यालय पंहुच कर फार्म नंबर 6 की छः प्रतियां तैयार की व प्रत्येक पर नमूना स्लिप लगाई, जिसको चपडी की सील की थी। दो फार्म न. 6 की प्रति अलग से एक लिफाफा में बन्द कर चपडी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला अजमेर राजस्थान को अगले कार्य दिवस को देकर रसीद प्राप्त की तथा शेष नमूने डिब्बें मय फार्म नं. 6 की प्रतिया आउटर कवर में चपडी से सील बन्दकर, सील मोहर कर

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

डीओ एव मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर को अगले कार्य दिवस को जमा करवा कर रसीद प्राप्त की जो कि न्यायनिर्णयन आवेदन के साथ सलंग्न है।

(6) आवेदक खाद्य सुरक्षा अधिकारी को अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/FSSA/जांच रिपोर्ट/2023/576 दिनांक 08.08.2023 के संलग्न जांच रिपोर्ट संख्या LS/976/Act/2023/1010 दिनांक 17.07.2023 के द्वारा मालूम हुआ कि मेरे द्वारा लिया गया हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना Q-2412 is Contravention of Regulation No. 2.3.14(15) of Food Safety and Standard (Prohibition and Restrictions on sales) Regulation 2011, because it sold in Loose Condition होना पाया गया है।

(7) प्रकरण में अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर ने सम्पूर्ण पत्रावली का अवलोकन एवं मनन कर अभियुक्त द्वारा खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन पाया जो इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। जुर्माना योग्य अपराध होने से अभियोजन ने स्वीकृति जारी कर न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अति. जिला कलक्टर, कुचामन सिटी के समक्ष न्याय निर्णय आवेदन प्रस्तुत करने हेतु अधिकृत किया गया है। अतः अभियुक्त पर जुर्माना आरोपित किया जावें।

(8) प्रस्तुत आवेदन पर प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अभियुक्त को नोटिस जारी किया गया। जिस पर प्रकरण की सुनवाई तिथि 13.02.2024 को अभियुक्त अशफाक पुत्र अब्दुल हमीद ने उपस्थित होकर बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी, नागौर द्वारा हल्दी पाउडर (लूज) का नमूना जांच के लिये लिया गया था जो जांच रिपोर्ट के अनुसार खुली अवस्था में बेचा जाना पाया गया। जिसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मुझे खुली अवस्था में हल्दी का बैचान नहीं करने के बारे में जानकरी नहीं थी। निवेदन करता हूं कि आगामी समय में कभी ऐसी गलती नहीं होगी।

(9) प्रकरण में तथ्यों पर मनन किया गया एवं पत्रावली तथा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का गंभीरतापूर्वक अध्ययन एवं अवलोकन किया गया। पत्रावली पर फूड एनालिस्ट राजस्थान अजमेर के FORM B रिपोर्ट नं. L.S/976/Act/2023/1010 दिनांक 17.07.2023 का अवलोकन किया गया जिसमें फूड एनालिस्ट का मत निम्न प्रकार अंकित किया है:–

Opinion- The sample of **Haldi Powder (loose)** bearing Code No. and Sr. No. Q- 2412 of Designated Officer cum Chief Medical & Health Officer, Nagaur **is Contravenes to Regulation 2.3.14.(15)** of Food Safety and Standards (Prohibition and Restriction on Sales) Regulations, 2011 **because it sold in loose condition.**

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:30 IST
Reason: SelfAttested

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, कुचामन सिटी

अतः खाद्य कारोबारकर्ता अशफाक से वास्ते क्रय किया गया खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) नमूना नं. Q–2412 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत खुली अवस्था में विक्रय करना पाया गया है, जिसमें अभियुक्त ने विक्रय निषिद्ध घोषित किये, खाद्य सुरक्षा और मानक (विक्रय प्रतिषेध और निर्बधन) नियम 2011 के तहत खाद्य पदार्थ हल्दी पाउडर (लूज) को खुली अवस्था में विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) का उल्लंघन किया है जिसका जुर्माना खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 58 में निर्धारित है।

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26, उपधारा 2(v) एंव 58 इस प्रकार हैः–

धारा 26ः– खाद्य कारोबार कर्ता के दायित्वः–

(2) कोई भी खाद्य कारोबार कर्ता निम्नलिखित किसी खाद्य वस्तु काः–

(v) इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए किसी नियम या विनियम के किसी अन्य उपबंध के उल्लंघन में, स्वयं विनिर्माण, भंडारण, विक्रय या वितरण नहीं करेगाा या अपनी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा नहीं कराएगा।

धारा–58

जो कोई इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों या विनियमों के किन्ही भी उपबंधों का उल्लंघन करता है जिसके लिए इस अध्याय में कोई पृथक शास्ति उपबंधित नहीं है, शास्ति का, जो दो लाख रुपए तक की हो सकेगी, दायी होगा।

(10) पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से यह भी स्पष्ट है कि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर के पत्र क्रमांक चिकि/एफएसएसए/जा.रि/2023/576 दिनांक 08.08.2023 से उक्त को जांच रिपोर्ट की प्रति प्रेषित की गई है, किन्तु इन्होंने पुनः जांच हेतु अपील आवेदन प्रस्तुत नही किया। अतः उक्त जांच रिपोर्ट अनुसार खाद्य पदार्थ सेम्पल Q-2412 खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 26 की उपधारा 2(v) और खाद्य सुरक्षा एंव मानक नियम 2.3.14.(15) का उल्लंघन पाया गया, इसी अधिनियम की धारा 58 के तहत जुर्माना योग्य अपराध है। इस प्रकार, खुली अवस्था में खाद्य पदार्थ के विक्रय हेतु फर्म– मैसर्स बेहलीम किराणा स्टोर, इमाम चौक, गोडा बास, मकराना खाद्यकारोबारकर्ता एंव मालिक अशफाक पुत्र अब्दुल हमीद दोषी व उतरदायी है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:30 IST
Reason: SelfAttested

(11) अतः खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 [illegible]8 की उपधारा (1) के तहत राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक प.1(2) [illegible] 05.04.12 द्वारा प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए खा[illegible]06 की धारा 58 के तहत अभियुक्त अशफाक पुत्र अब्दुल हमीद निवासी [illegible] अस्पताल के सामने, मकराना फर्मः–

अतिरिक्त जिला कलक्टर
कुचामन सिटी

खाद्य सुरक्षा अधिकारी नागौर बनाम अशफाक

मैसर्स बेहलीम किराणा स्टोर, इमाम चौक, गोडा बास, मकराना पर राशि रुपये 7000/-(अक्षरे रुपये सात हजार मात्र) की शास्ति अधिरोपित की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं संबंधित अभियुक्त को भिजवाने हेतु अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर को भेजी जावे। अभियुक्त से उपरोक्त शास्ति राशि वसूल कर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी नागौर के कार्यालय में ट्रेजरी चालान के माध्यम से निर्णय तिथि के एक माह के अन्दर जमा करवायी जाकर पालना रिपोर्ट इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। यदि अभियुक्त निर्धारित समयावधि में शास्ति राशि जमा करवाने में असफल रहता है तो अभिहित अधिकारी कम मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, नागौर इस संबंध में बनाए गए नियमों के अंतगर्त वसूली की कार्यवाही भी सूनिश्चित करेंगे।

(12) आदेश दिनांक 26.02..2024 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया।

26/02/2024

(रवीन्द्र कुमार)

न्याय निर्णयन अधिकारी एवं

अति0 जिला मजिस्ट्रेट, कुचामनसिटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jagdish Prasad Gour
Date: 2025.12.31 13:10:30 IST
Reason: SelfAttested